कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 3046/2022 रेखा कुमारी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2022 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकार्थिया राबाउप्रावि, सुवाला, ब्लॉक–बागीदौरा, जिला–बांसवाड़ा में शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद पर कार्यरत थी, जिसके पश्चात रिशफल जिला आवंटन द्वारा याचिकार्थिया को डूंगरपुर जिला आवंटित किया गया। याचिकार्थिया का कथन है कि याचिकार्थिया के पति राउप्रावि, सोडलादुदा, ब्लॉक–गॉगड़तलाई, जिला–बांसवाड़ा में कार्यरत है। अतः याचिकार्थिया ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पति–पत्नी प्रकरण (यदि पति–पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हो तो उनको एक ही जिले (स्टेशन) में कार्यरत किया जावें) के आधार पर डूंगरपुर जिले से बांसवाड़ा जिले के विद्यालयों में से किसी एक में रिक्त पद पर पदस्थापन करने की मांग की है।

याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.03.2022 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 के अनुसार शारीरिक शिक्षा अध्यापक का पद जिला स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक का पद जिला कैडर का होने के कारण जिला परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से जिलास्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर विभाग द्वारा जिलेवार एवं वर्गवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले में स्थानान्तरण कर जिला परिवर्तन किये जाने से जिलों में उपलब्ध पदों के विरुद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

याचिकार्थिया द्वारा पति–पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में कार्यरत होने पर दोनों को एक स्थान पर पदस्थापित किये जाने के आधार पर डुंगरपुर जिले से बांसवाड़ा जिले में स्थानान्तरण की मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि शासन के पत्रांक प 17(4) शिक्षा–2/2009 पार्ट जयपुर, के अनुसार तृतीय श्रेणी अध्यापक के स्थानान्तरण हेतु वर्तमान में शासन द्वारा पत्रांक प 5(5) प्राशि/2018 दिनांक 02.04.2018 द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश प्रभावी है, जिनमें राजकीय सेवा में कार्यरत पति–पत्नी के एक ही स्थान अथवा निकटतम स्थान पर पदस्थापन के सम्बन्ध में कोई दिशा–निर्देश अंकित नहीं है।

राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.1(1)प्र.सु./अनु.–3/2020 पार्ट जयपुर, दिनांक 18.05.2020 के बिन्दु संख्या 03 में अंकित पति–पत्नी प्रकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त परिपत्र राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या अन्य भर्ती एजेंसी से चयनित अभ्यर्थियों को मण्डल/जिला आवंटन पश्चात् काउंसलिंग में वरीयता प्रदान करने के सम्बन्ध में है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। याचिकार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में पति–पत्नी प्रकरण के आधार पर अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं न्यायसंगत नहीं है। उक्तानुसार इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर
दिनांकः– 10/05/2022

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जोध/12831/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, डूंगरपुर

Rajasthan Education Department

3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा
4. सहायक निदेशक (विधि), कार्यालय हाजा को शिविरा/माध्य/विधि/बी–2/जोध/नि./29810/बी/2022/2 दिनांक 01.04.2022 के क्रम में।
5. याचिकार्थिया रेखा कुमारी, शारीरिक शिक्षा अध्यापक, राउप्रावि, वालई साबला, जिला–डूंगरपुर (रजिस्टर्ड)
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक,डूँगरपुर

नया महादेव मन्दिर के पास कोर्ट के पीछे

दूरभाष नं. 02964- 232221 email ID - deosecdpr@gmail.com.deo.dungarpur.dse@rajasthan.gov.in

क्रमांकः—जिशिअ./माध्य/डूँगर/संस्थापन–I/2022/ 1312 दिनांकः—14.02.2022

कार्यालय आदेश

श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1/12102/शा.शि.ग्रेड–III/सी.भ. 2018/एन.जे./2021 दिनांक 10.06.2021 के अनुसरण में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III सीधी भर्ती 2018 में चयनीत एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों के विभाग द्वारा रिशफल जिला आंवटन जिलेवार विज्ञापित पदों की संख्या तक वर्ग एवं चयन वर्गवार मैरिट के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जिले की प्राथमिकता के अनुसार किया गया है।

निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–2/कोर्ट केस/13241/2021 दिनांक 05.01.2022 के निर्देशानुसार उक्त रिशफल जिला आवंटन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या 5803/2021 रेखा कुमारी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.12.2021 एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या 6803/2021 रामेश्वर गुर्जर बनाम राजस्थान सरकार व अन्य तथा अन्य समान प्रकरणों में पारित निर्णय दिनांक 25.08.2021 तथा रिशफल जिला आवंटन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में दायर अन्य याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों में याचिकार्थियों को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किये गये है।

याचिकार्थी रेखा कुमारी शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III राउप्रावि वालई साबला जिला डूँगरपुर द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.12.2021 के अनुसरण में अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाकर इनकी दिनांक 11.02.2022 तक को प्रसुति होना बताया एवं अन्य पारिवारिक परिस्थितियाँ अंकित करते हुए रिशफल नवीन जिला आवंटन पर डूँगरपुर जिले में पदस्थापन स्थान राबाउप्रावि पिण्डावल साबला मे जिला डूँगरपुर चाहा गया है ।

अतः माननीय न्यायालय के निर्णय एवं याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के अनुसार रिशफल नवीन जिला आवंटन पर डूँगरपुर जिले में पदस्थापन स्थान राबाउप्रावि पिण्डावल साबला जिला डूँगरपुर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है ।

संबंधित संस्था प्रधान इन्हें तत्काल नवीन पदस्थापन के लिये कार्यमुक्त कर पालना सुनिश्चित करें।

(अमृतलाल कलाल)
जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक डूँगरपुर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

क्रमांकः—जिशिअ./माध्य/डूँगर/संस्थापन–I/2022/ 1312 दिनांकः—14.02.2022

प्रतिलिपिः—

1. श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर ।
2. श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय स्कुल शिक्षा उदयपुर संभाग उदयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी विधि जयपुर/जोधपुर
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी डूँगरपुर
5. जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि.डूँगरपुर
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी साबला
7. संबंधित पीईईओ .... जिला डूँगरपुर
8. संबंधित संस्थाप्रधान राबाउप्रावि पिण्डावल
9. संबंधित रेखा कुमारी शा.शि.ग्रेड–III
10. कार्यालय प्रति

आदेश की प्रति प्राप्त की
रेखा

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक डूँगरपुर